संख्या-02/2023/114(1)//001-82-3002-002-3-2022 1

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मंत्री,
उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-03-2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्ष "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-200-अन्य योजनायें-04-उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान" के अन्तर्गत कुल व्यवस्थित धनराशि रू0 42.39 लाख (रूपये बयालीस लाख उनतालीस हजार मात्र) अर्थात रू0 42,39,000/- की धनराशि को वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

(1) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्यतयिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय तथा आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

(2) एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाय।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण सुनिश्चित किया जाय।

(4) उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय विवरण नियमित रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज को प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में भेजा जाय, जिसकी एक प्रति शासन को भी प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 3,30,000/- (रुपये तीन लाख तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-**028 **लेखाशीर्ष** 2251002000400 उ.प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (2) रुपये 39,09,000/- (रुपये उनतालीस लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**028 **लेखाशीर्ष** 2251002000400 उ.प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान **मानक मद** 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
रजनीश गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-02/2023/114(1)/001-82-3002-002-3-2022 1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन,
15-थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।
7- अधीक्षक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ/मथुरा।
8- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रकाश चन्द्र अग्रवाल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।